

न्यायालय:द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)
(समक्ष: मोहम्मद अज़हर)
दांडिक अपील क.-313/15
प्रस्तुति/संस्थित दिनांक-03.08.15

रामचन्द्र सिंह पुत्र अतर सिंह आयु 34 साल
निवासी ग्राम तुकेंडा परगना गोहद जिला
भिण्ड म0प्र0

.....अपीलार्थी/अभियुक्त

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस आरक्षी केन्द्र
गोहद चौराहा जिला भिण्ड म0प्र0

.....प्रत्यर्थी

राज्य द्वारा श्री बी0एस0 बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक।
अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा श्री एन.एस. तोमर अधिवक्ता।

// निर्णय //

(आज दिनांक 12.01.18 को घोषित)

1. यह अपील न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड (श्री गोपेश गर्ग) के मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1083/12, अपराध क्रमांक 155/12 अंतर्गत धारा-25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम उनवान पुलिस आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा बनाम रामचन्द्र में घोषित निर्णय व दण्डादेश दि0-06.07.15 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है, जिसके तहत अपीलार्थी/अभियुक्त रामचन्द्र सिंह को धारा- 25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम के तहत दोषसिद्ध ठहराते हुए एक वर्ष के कठिन कारावास तथा 200/-रुपये के अर्थदण्ड से एवं अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का कठिन कारावास अतिरिक्त रूप से भुगताये जाने के दण्ड से दण्डित किया है।
2. अभियोजन के अनुसार दिनांक 09.09.12 को सुबह 10:00 बजे के लगभग पुलिस गोहद चौराहा संदिग्ध अपराधियों की चैकिंग के लिए रवाना हुई। ग्राम सर्वा के सामने पहुंचने पर अभियुक्त रामचन्द्र रोड किनारे खड़ा था, जो संदिग्ध हालत में दिखा, जहां पर वाहन

रोकने वह गांव की तरफ भागने लगा, तब उसे फोर्स की मदद से पकड़ने पर और तलाशी लेने पर उसकी पेंट में बाईं ओर की जेब में 315 बोर के पांच राउण्ड जिंदा मिले। जिन्हें रखने हेतु लाइसेंस चाहने पर वैधता का लाइसेंस रामचन्द्र के पास नहीं होना पया गया। मौके पर ही अभियुक्त के आधिपत्य से पांच जिंदा राउण्ड 315 बोर के जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी0-02 बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-01 बनाया गया। थाना वापिसी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-04 लिखाई गई। अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 155/12 अंतर्गत धारा-27 आयुध अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया। दिनांक 14.09.12 को उक्त पांच जिंदा राउण्ड जांच हेतु भेजे गए, जिनकी प्र0पी0-06 की जांच रिपोर्ट के अनुसार वे फायर करने योग्य पाए गए। साक्षी गंगासिंह का प्र0पी0-03 का कथन एवं साक्षी बृजेन्द्र सिंह का पुलिस कथन लिया गया। दिनांक 26.09.12 को प्र0पी0-05 की अभियोजन स्वीकृति तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के द्वारा प्रदान की गई। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3. विचारण न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेने के पश्चात अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा-25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम के तहत आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने अपराध करना अस्वीकार किया। जिसके कारण मामले का विचारण किया गया। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को आयुध अधिनियम की धारा-25(1-बी)(ए) के तहत दोषसिद्ध करते हुए प्रश्नगत दण्डादेश से दण्डित किया गया। उक्त दण्डादेश के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया गया, जिससे इस अपील के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न निम्न प्रकार हैं:-

“क्या प्रश्नगत दोषसिद्धि या दण्डाज्ञा इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप योग्य है ?”

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

5. अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से अपील मेमो एवं तर्क के दौरान यह आधार लिए गए हैं कि साक्षी राजकिशोर सिंह अ0सा0-05 के न्यायालयीन कथन पर पीठासीन न्यायाधीश महोदय के हस्ताक्षर नहीं हैं। महत्वपूर्ण साक्षी विवेचक वीर सिंह का कथन नहीं कराया गया है। गंगा सिंह अ0सा0-01 ने यह बताया है कि उन्होंने पुलिस को कोई कथन नहीं दिया। साक्षियों की साक्ष्य में भारी विरोधाभास

है। बिजेन्द्र सिंह अ0सा0-02 ने यह बताया है कि ग्राम तुकेंडा में उसकी रिश्तेदारी है। इस प्रकार वह हितबद्ध साक्षी है। सुभाष पाण्डेय अ0सा0-03 ने यह बताया है कि गश्त के दौरान उनके साथ कौन कौन था उन्हें याद नहीं है तथा ग्राम सर्वा का कोई भी व्यक्ति मौके पर मौजूद नहीं था।

6. जहां तक कि साक्षी राजकिशोर सिंह अ0सा0-05 की डिपोजीशन शीट पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर न होने का प्रश्न है। उस पर राजकिशोर सिंह के हस्ताक्षर होना प्रकट है तथा दिनांक 26.02.15 की आदेश पत्रिका के अनुसार पुनः परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया है। विचारण न्यायालय के द्वारा भी उस पर विश्वास करते हुए दोषसिद्धि कारित की है। तब ऐसी स्थिति में उस पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर न होने का कोई प्रभाव नहीं है।

7. राजू शाक्य अ0सा0-04 ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय भिण्ड से प्रतिवेदन कब प्राप्त हुआ है। वह नहीं बता सकता। उसे जानकारी नहीं है कि कारतूस किससे जप्त हुए। उक्त साक्षी शंका के दायरे में है। उक्त तथ्यों पर विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। विचारण/अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.07.15 प्रकरण की पत्रावली एवं विधि के सिद्धांतों के विपरीत पारित होने से निरस्ती योग्य है। उक्त आधारों पर निर्णय एवं दण्डाज्ञा दिनांक 06.07.15 को निरस्त कर अपीलार्थी को दोषमुक्त करने तथा जमा की गई अर्थ दण्ड की राशि वापिस दिलाए जाने की प्रार्थना की गई है।

8. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त अपर लोक अभियोजक ने प्रश्नगत निर्णय का समर्थन करते हुए अपील खारिज करने पर बल दिया है तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को यथावत् रखने का निवेदन किया है।

9. इस संबंध में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य पर विचार किया गया। विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय के पैरा-10 में यह मान्य किया है कि सुभाष पाण्डेय अ0सा0-03 द्वारा मुख्यपरीक्षण में अभियुक्त से राउण्ड जप्त होने के तथ्य को प्रतिपरीक्षण में चुनौतीगत नहीं रखा गया है। पैरा-11 में यह मान्य किया है कि बिजेन्द्र अ0सा0-02 ने सुभाष पाण्डेय अ0सा0-03 के कथन का समर्थन किया है। पैरा-14 में न्याय दृ० **जितेन्द्र बनाम म०प्र० राज्य 2002 कि. लॉ. ज. 3211** का उल्लेख करते हुए यह मान्य किया है कि प्रतिपरीक्षण में आयुध सीलबंद किए जाने के तथ्य को कोई चुनौती नहीं दी गई है और दस्तावेज से सीलबंद किया जाना प्रमाणित होता हो तो वहां सम्पत्ति के परिवर्तन की संभावना समाप्त हो करने हेतु सीलबंद न किए जाने

की प्रतिरक्षा बचाव पक्ष को प्राप्त नहीं होती है। पैरा-15 में अपराध प्रमाणित मानते हुए दोषसिद्ध ठहराया गया है। परंतु जप्त होने को चुनौती दी गई अथवा नहीं, निष्कर्ष इस पर निर्भर नहीं रहेगा। अपितु पूरे प्रकरण की साक्ष्य को एक साथ देखना होगा। जहां तक सीलबंद किए जाने या न किए जाने का प्रश्न है, सर्वप्रथम यह देखना होगा कि आयुध का सीलबंद किया गया प्रमाणित किया गया है, अथवा नहीं।

10. इस मामले में प्रमुख साक्षी सुभाष पाण्डेय अ0सा0-03 है, जिन्होंने अभियुक्त रामचन्द्र की तलाशी लेने पर उसकी जेब से पांच राउण्ड 315 बोर के जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी0-02 बनाया जाना, अभियुक्त को गिरफ्तार करना, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-04 लिखना बताया है।

11. वृजेन्द्र सिंह अ0सा0-02 उसी थाना गोहद चौराहे पर आरक्षक है। उसने भी अभियुक्त रामचन्द्र की पेंट की जेब में जिंदा राउण्ड 315 बोर के मिलना बताया है और अपने सामने सुभाष पाण्डेय अ0सा0-03 के द्वारा उन्हें जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी0-02 बनाया जाना बताया है। प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि डॉक्टर गंगासिंह सर्वा पर मिले थे और यह भी स्वीकार किया है कि गोहद चौराहे पर क्लीनिक पर कार्य करते हैं।

12. प्र0पी0-01 के गिरफ्तारी पंचनामे एवं प्र0पी0-02 के जप्तीपंचनामे का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उस पर ए से ए भाग पर साक्षी गंगासिंह अ0सा0-01 के हस्ताक्षर हैं। जिसे गंगासिंह अ0सा0-01 ने स्वीकार किया है। परंतु उसने इस तथ्य से इन्कार किया है कि दिनांक 09.09.12 को सुबह 10:00 बजे वह बाराहेड पेंडा पर मरीज को देखने जा रहा था, तो ग्राम सर्वा के सामने आगे रोड पर एक आदमी को घेर का पकड़ रहे थे, तो वह भी वहां रुक गया था। उसने इस तथ्य से इन्कार किया है कि रामचन्द्र की तलाशी लेने पर उसके पास जेब में से 315 बोर के पांच राउण्ड मिले थे।

13. स्पष्ट है कि गंगा सिंह अ0सा0-01 डॉक्टर होकर गोहद चौराहे पर क्लीनिक पर कार्य करने का उनका पेशा है। तब ऐसी स्थिति में ग्राम सर्वा पर पुलिस के द्वारा बताई गई उपरोक्त कार्यवाही में प्र0पी0-01 एवं प्र0पी0-02 पर हस्ताक्षर करने भी संदेह की परिधि में आ जाता है। यही कारण है कि मुख्य परीक्षण में उन्होंने यह बताया है कि वह गोहद चौराहे पर रहता है, इसलिए थाने पर आता जाता है। यद्यपि इस साक्षी को अभियोजन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित किया गया है।

14. वृजेन्द्र सिंह अ0सा0-02 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि ग्राम तुकेंडा में उसके गांव की रिश्तेदारी है, फिर संभल कर यह कहा कि रिश्तेदारी हो सकती है अर्थात् इस साक्षी के द्वारा

रिश्तेदारी होने या न होने के तथ्य को छिपाने का भी प्रयास किया जा रहा है। इससे भी अभियोजन घटना पर संदेह उत्पन्न होता है। सुभाष पाण्डेय अ0सा0-03 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि गश्त के दौरान उनके साथ कौन कौन था, उन्हें याद नहीं है। ग्राम सर्वा गांव का मौके पर घटना के समय कोई भी मौजूद नहीं था। इस प्रकार सुभाष पाण्डेय अ0सा0-03 अपने साथ जाने वाले कर्मचारियों को बताने में असमर्थ हैं, साथ ही साथ जिस स्थान पर कार्यवाही होना बताया है, उस स्थान वाले गांव का कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं होना बताया है। जप्तशुदा राउण्ड को साक्ष्य के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह स्थिति भी अभियोजन घटना को संदेह की परिधि में लाती है।

15. राजकिशोर सिंह अ0सा0-05 ने दिनांक 14.09.12 को अपराध क्रमांक 155/12 में पांच राउण्ड 315 बोर के खाली लिफाफे में ऊपर से सफेद कपड़े में सील बंद जांच होने के लिए प्राप्त होना बताया है और पांचों राउण्ड फायर करने योग्य बताया है। उनकी रिपोर्ट प्र0पी0-06 है। परंतु प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उक्त राउण्डों को फायर कर के नहीं देखा था। अतः ऐसी स्थिति में जहां कि किसी भी राउण्ड को फायर करके नहीं देखा है, तब यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त राउण्ड चलने योग्य थे या नहीं।

16. जहां तक कि राउण्ड सीलबंद होने का प्रश्न है जप्ती पंचनामा प्र0पी0-02 का अध्ययन करने करने से स्पष्ट है कि जप्तीपंचनामे में यद्यपि सील बंद होने का उल्लेख है, परंतु उसमें यह उल्लेख नहीं है कि किस प्रकार से सील बंद किया था। सुभाष पाण्डेय अ0सा0-03 ने यह नहीं बताया है कि जप्तशुदा राउण्ड को सीलबंद किया था। अतः ऐसी स्थिति में राउण्ड सीलबंद होना भी प्रमाणित नहीं होता है। तब वास्तव में यह संदेह उत्पन्न हो जाता है कि बताए गए जप्तशुदा राउण्ड ही जांच हेतु भेजे गए अथवा नहीं।

17. राजू शाक्य अ0सा0-04 ने यह बताया है कि अभियुक्त रामचन्द्र सिंह के संबंध में पांच जिंदा राउण्ड 315 बोर के संबंध में तत्कालीन डी.एम. श्री अखिलेश श्रीवास्तव के द्वारा अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृति प्र0पी0-05 प्रदान की गई थी। परंतु वह यह बताने में असमर्थ है कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय भिण्ड से प्रतिवेदन कब प्राप्त हुआ। संपूर्ण साक्ष्य से यह भी प्रकट नहीं है कि तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी के द्वारा अपने मस्तिष्क और और विवेक का उपयोग करते हुए, राउण्ड, केस डायरी एवं प्रतिवेदन का अवलोकन करने के बाद अभियोजन स्वीकृति दी गई थी। ऐसी स्थिति अभियोजन स्वीकृति होना भी पूरी तरह से प्रमाणित नहीं होती है।

18. इस मामले में केवल पांच राउण्ड जप्त हुए हैं। यह मानवीय संव्यवहार के साधारण अनुक्रम में भी यह अस्वाभाविक प्रतीत होता है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी पिस्टल, कट्टे या बंदूक के केवल राउण्ड ही रखे रहे अर्थात् जिस चीज की कोई उपयोगिता ही न हो उसे अनावश्यक रूप से रखे रहे। इस मामले में विवेचना अधिकारी सुभाष पाण्डेय अ0सा0-03 के द्वारा प्रतिपरीक्षण में इस मामले की लगभग कोई जानकारी न होना व्यक्त किया है। अतः ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर अभियोजन घटना में संदेह उत्पन्न हो गया है, जो कि युक्तियुक्त है। विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उपरोक्त तथ्यों पर विचार नहीं किया गया है। इस कारण राउण्ड जप्त होने, साक्षियों के द्वारा एक दूसरे की साक्ष्य का समर्थन करना, राउण्ड मौके पर सीलबंद होने का निष्कर्ष देकर वैधानिक त्रुटि कारित की है।

19. इस प्रकार न तो साक्षियों की साक्ष्य की पुष्टि आपस में हो रही है और न ही उनकी साक्ष्य तात्विक रूप से अखण्डित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-1 में प्रथम पृष्ठ पर घटना के समय पर ओवर राइटिंग की गई है। अतः इस संबंध में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिया निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है क्योंकि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत की गई संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर अभियोजन मामले में युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न हो गया है। अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला प्रमाणित नहीं हो रहा है।

20. उपरोक्त इन सभी तथ्यों एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया है और साक्ष्य की विवेचना किए जाने में वैधानिक भूल कारित की है। साक्षियों की साक्ष्य अखण्डित होना, साक्षियों की साक्ष्य की पुष्टि आपस में होना, अभियुक्त से पांच 315 बोर के जिंदा राउण्ड जप्त होना, उनका सीलबंद होना, जांच में उक्त राउण्ड चलने योग्य पाया जाना तथा अभियोजन स्वीकृति विधिवत् होना मान्य किए जाने में वैधानिक त्रुटि कारित की है।

21. इस प्रकार विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अभियुक्त रामचन्द्र को बिना वैध लाइसेंस के 315 बोर के पांच जिंदा राउण्ड बिना वैध लाइसेंस के अपने आधिपत्य में रखने के अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराकर वैधानिक त्रुटि कारित की है। अतः ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा की गई दोषसिद्धि एवं दण्डादेश वैधानिक त्रुटि से ग्रसित होने के कारण हस्तक्षेप किए जाने योग्य है।

22. अतः अभियुक्त/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत की गई यह अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा की गई उक्त दोषसिद्धि एवं किया गया दण्डादेश अपास्त किया

जाता है। फलस्वरूप अपीलार्थी/अभियुक्त रामचन्द्र को आयुध अधिनियम की धारा-25(1-बी)(ए) के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

23. अपीलार्थीगण के जमानत मुचलके उन्मोचित किए जाते हैं।

24. प्रकरण में जप्तशुदा 315 बोर के पांच जिंदा राउण्ड के संबंध में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे। रिवीजन होने पर माननीय रिवीजनल न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

25. निर्णय की प्रति के साथ विचारण/अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापस किया जावे।

निर्णय न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित ।

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद, जिला भिण्ड

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद, जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)